



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268921
CG-DL-E-31122025-268921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5868]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5868]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6068(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH227A के कि.मी. 90 से कि.मी.128.87 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH227A के कि.मी. 90 से कि.मी.128.87 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गोरखपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोला					
गांव का नाम: देईडीहा तप्पा-चांदपार					
1	101	सामान्य	परती / कृषि	96 (वर्ग मीटर)	0.0096
2	102	सरकारी	आबादी	48 (वर्ग मीटर)	0.0048
3	120	सरकारी	आबादी	750 (वर्ग मीटर)	0.075
4	177	सरकारी	सड़क	1780 (वर्ग मीटर)	0.178
5	178	सरकारी	सड़क	12380 (वर्ग मीटर)	1.238
6	187	निजी	आबादी	100 (वर्ग मीटर)	0.01
7	198	सरकारी	आबादी	244 (वर्ग मीटर)	0.0244
8	223	सरकारी	आबादी	192 (वर्ग मीटर)	0.0192
9	224	सरकारी	बंजर / आबादी	275 (वर्ग मीटर)	0.0275
10	234	सरकारी	आबादी	168 (वर्ग मीटर)	0.0168
11	96	सरकारी	सड़क	240 (वर्ग मीटर)	0.024
Total					1.6273

[फा. सं. NH-227A-LA- 2020-21/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6068(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH227A in

the stretch of land from Km. 90 to Km. 128.87 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent authority / Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH227A in the stretch of land from Km. 90 to Km. 128.87 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: GORAKHPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gola					
Village: Deideeha Tappa-Chandpar					
1	101	Common	Parti / Agriculture	96 (Square Meter)	0.0096
2	102	Government	Abadi	48 (Square Meter)	0.0048
3	120	Government	Abadi	750 (Square Meter)	0.075
4	177	Government	Road	1780 (Square Meter)	0.178
5	178	Government	Road	12380 (Square Meter)	1.238
6	187	Private	Abadi	100 (Square Meter)	0.01
7	198	Government	Abadi	244 (Square Meter)	0.0244
8	223	Government	Abadi	192 (Square Meter)	0.0192
9	224	Government	Banjar / Abadi	275 (Square Meter)	0.0275
10	234	Government	Abadi	168 (Square Meter)	0.0168
11	96	Government	Road	240 (Square Meter)	0.024
Total					1.6273

[F. No. NH-227A-LA- 2020-21/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director